



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2010/ज्येष्ठ 26, 1932

No.343]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2010/JAYIASTHA 26, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2010

सा.का.नि. 508(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकन के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकन के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यांकन के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 2 के उपनियम (1) में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण— आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों को वित्तपोषित करने वाले संव्यवहार में ऐसा संव्यवहार सम्मिलित है जिसमें आतंकवाद, आतंकवादी कार्यवाहियों से सहबद्ध या संबंधित या उनके लिए उपयोग किए जाने या किसी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या वित्तपोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उपयोग किए जाने के लिए संदेहास्पद निधियां अंतर्वलित हैं।”

(ख) नियम 9 में, उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती यह अवधारित करेगा कि क्या कोई ग्राहक किसी फायदाग्राही स्वामी की ओर से कार्रवाई कर रहा है, फायदाग्राही स्वामी की पहचान करेगा और उसकी पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा।”

(ग) नियम 9 में, उपनियम (1ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1ख) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, प्रत्येक ग्राहक के साथ कारबार संबंधों के संबंध में सतत सम्यक् सचेतना का अनुपालन करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए संव्यवहारों की गहन समीक्षा करेगा कि वे ग्राहक, उसके कारबार और जोखिम प्रोफाइल तथा जहां कहीं आवश्यक हों निधियों के स्रोत के संबंध में उनकी जानकारी से संगत हैं।”

(घ) नियम 9 में, उपनियम (1ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1ग) यथास्थिति, कोई भी बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती, किसी गुप्त खाते को खोले जाने या बनाए रखने या फर्जी नामों पर या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनकी पहचान प्रकट नहीं की गई है या सत्यापित नहीं की जा सकती, की ओर से खाते को खोले जाने या बनाए रखने की अनुज्ञा नहीं देगा।”

(ङ) नियम 9 में, उपनियम (1ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1घ) जब धन शोधन या आतंकवाद से संबंधित क्रियाकलापों के वित्तपोषण का संदेह है या जहां पूर्व में अभिप्राप्त किए गए ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों की पर्याप्तता या यथार्थता के संबंध में संदेह है तो प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्था और मध्यवर्ती सम्यक् सचेतन उपायों का पुनर्विलोकन करेगा, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, ग्राहक की पहचान को पुनः सत्यापित करना तथा प्रयोजनार्थ और कारबार संबंधों की आशयित प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है।”

(च) नियम 10 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए--

- (i) ‘ग्राहक की पहचान के अभिलेख’ पद में पहचान संबंधी आंकड़े, खाता और कारबार पत्राचार के अभिलेख सम्मिलित होंगे ;
- (ii) ‘संव्यवहारों का समापन’ से किसी खाते या कारबार संबंध का समाप्त होना अभिप्रेत है।

[अधिसूचना सं. 10/2010-ई.एस./फा. सं. 6/8/2009]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 717(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2005, सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.नि. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009 और सा.का.नि. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2010

G.S.R. 508(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Second Amendment Rules, 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005,-
 - (a) in rule 2, in sub-rule (1), after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:-
“Explanation. - Transaction involving financing of the activities relating to terrorism includes transaction involving funds suspected to be linked or related to, or to be used for terrorism, terrorist acts or by a terrorist, terrorist organisation or those who finance or are attempting to finance terrorism.”
 - (b) in rule 9, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1A) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall determine whether a client is acting on behalf of a beneficial owner, identify the beneficial owner and take all reasonable steps to verify his identity.”
 - (c) in rule 9, for sub-rule (1B), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
“(1B) Every banking company, financial institution and intermediary, as the case may be, shall exercise ongoing due diligence with respect to the business relationship with every client and closely examine the transactions in order to ensure that they are consistent with their knowledge of the client, his business and risk profile and where necessary, the source of funds.”
 - (d) in rule 9, for sub-rule (1C), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(1C) No banking company, financial institution or intermediary, as the case may be, shall allow the opening of or keep any anonymous account or account in fictitious names or account on behalf of other persons whose identity has not been disclosed or cannot be verified.”

(e) in rule 9, after sub-rule(1C), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1D) When there are suspicions of money laundering or financing of the activities relating to terrorism or where there are doubts about the adequacy or veracity of previously obtained customer identification data, every banking company, financial institution and intermediary shall review the due diligence measures including verifying again the identity of the client and obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship, as the case may be.”

(f) in rule 10, after sub-rule (3), the following Explanation* shall be inserted, namely:-

“Explanation. - For the purposes of this rule, -

(i) the expression ‘records of the identity of clients’ shall include records of the identification data, account files and business correspondence.

(ii) the expression ‘cessation of the transactions’ means termination of an account or business relationship.”

[Notification No. 10/2010-E.S./F. No. 6/8/2009-E.S.]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009 and G.S.R 76(E), dated the 12th February, 2010.